"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक [illegible] क प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक [illegible] 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 116] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 मई 2012—वैशाख 26, शक 1934

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-23/2012/वा.क. (आब.)/पांच (29).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 02 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-27/2010/वाक (आब)/पांच (31), दिनांक 26 मार्च, 2010 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसके एक्स फैक्ट्री प्राईस रुपये 750/- (अक्षरी रुपये सात सौ पचास) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ. एल. 1घ फुटकर दुकान से एफ. एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है.

2. यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक एफ 10-23/2012/वा.क.(आब.)/पांच (29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसा[illegible]स विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-23/2012/वा.क.(आब.)/पांच (29), दिनांक 16-05-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th May 2012

NOTIFICATION

No. F 10-23/2012/CT (Ex)/V (29).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 8 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and suppression of the previous Notification No. F 10-27/2010/CT (Ex)/V (31), Raipur Dated, 26th March, 2010 issued in this behalf, the State Government hereby, prohibits transportation of such Foreign liquor (excluding Beer) of which ex-factory price is up to Rs. 750/- (In words Rs. Seven Hundred Fifty) per case (i.e.12 quart bottles) from F. L. ID retail shop of Foreign liquor to the licensees of F.L. 3 Hotel Bar Licence.

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.